

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 4510/2026**

राम बाबू उर्फ छोटू

.....प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव (गृह),

लखनऊ व अन्य

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता	: अर्जुन सिंह कलहंस, घनश्याम कोहली, रणजीत सिंह बघेल, सौरभ सिंह
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा.अ.

न्यायालय संख्या - 12**माननीय न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह**

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. के निवेदनों को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से दायर कर मुकदमा अपराध संख्या 32/2026, अंतर्गत धारा 69 भा.न्या.सं., थाना-कटरा बाज़ार, ज़िला-गोंडा आरोप में दौरान परीक्षण उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रार्थी पर आरोप है कि उसने कथित पीड़िता के साथ सात साल तक शादी का झूठा वादा करके बलात्संग किया। उनका निवेदन है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पीड़िता 29 साल की पढ़ी-लिखी महिला है। उसकी पहले शादी हो चुकी थी और वह शादी के अतिरिक्त संबंध बनाने के नतीजों से पूरी तरह वाकिफ थी। प्रार्थी और शिकायतकर्ता के बीच आपसी सहमति से संबंध हो सकते हैं। इस मामले में भा.न्या.सं. की धारा 69 लागू नहीं होती है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रार्थी का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 10.02.2026 से जेल में निरुद्ध है। उनका निवेदन है कि प्रार्थी वचन देता है कि अगर उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अ.शा.अ. ने उपरोक्त निवेदनों का विरोध किया है और निवेदन किया है कि प्रार्थी किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों को सुनने और अभिलेख पर उपस्थित जानकारी को देखने के बाद, यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता एक पढ़ी-लिखी महिला है। उसकी पूर्व में शादी हो चुकी थी और अपने पहले पति से उसके दो बच्चे हैं। वह पिछले सात सालों से अभियुक्त के साथ रिश्ते में थी। यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच का रिश्ता आपसी सहमति से नहीं था। अभियुक्त 10.02.2026 से जेल में निरुद्ध है और जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 18 में बताए अनुसार, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त ने वचन दिया है कि अगर उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह प्राप्त जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सज़ा की गंभीरता, सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, आरोपों के समर्थन में न्यायालय की प्रारम्भिक संतुष्टि, सज़ा के सुधारात्मक सिद्धांत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

व्यक्त किए बिना, मैं इसे ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ।

ऊपर बताए गए अपराध में शामिल प्रार्थी **राम बाबू उर्फ छोटू** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करे, और साथ ही निम्नलिखित शर्तें भी पूरी करे:-

1. प्रार्थी विवेचना या परीक्षण के दौरान साक्षियों को डरा-धमकाकर या उन पर दबाव डालकर अभियोजन पक्ष के साक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. प्रार्थी को यह वचन देना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियों पर सुनवाई स्थगन की मांग नहीं करेगा। उसे नियत प्रत्येक तिथि पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए उपस्थित रहना होगा। अगर वह बिना किसी ठोस कारण के उपस्थित नहीं रहता है, तो परीक्षण न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकती है।
3. प्रार्थी को (i) मामला शुरू करने, (ii) आरोप निर्धारित करने और (iii) धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा; और
4. अगर प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, और उसकी उपस्थित सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और प्रार्थी उस उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-क के तहत विधि अनुरूप कार्यवाही शुरू करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संबंधित न्यायालय प्रतिभुओं की पहचान, हैसियत और रिहायशी पते के साक्ष्यों की जांच करेगी और अगर ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो अवर न्यायालय ज़मानत रद्द करने और प्रार्थी को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल इस ज़मानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक ही सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर किसी भी तरह का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति, श्री प्रकाश सिंह)

25 जून 2026

आरती/-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।